संख्याः 924/XXVIII/3/2006-104/2006

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड ,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादूनः दिनांकः 13 जून 2007

विषयः **वेतन समिति(1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ/वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के वेतनमानों को संशोधित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-121/5-7-05-आठ-54/88, दिनांक 21 फरवरी, 2005 के क्रम में आपके पत्र संख्या-3प/पैरा/लैब टैक्नी/11/2001/31207, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समता समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ/वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के वेतनमान चिकित्सा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-4218/5-8-आठ-54/88, दिनांक 19 सितम्बर, 1994 के द्वारा पुनरीक्षित किये गये थे। अब उक्त शासनादेश के क्रम में वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ/वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ सेवा सवंर्ग के पदों के इस शासनादेश के स्तम्भ-3 में उल्लिखित दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानों को स्तम्भ-4 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से संशोधित/उच्चीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा निदेश-4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करते हुये उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतनवृद्धि में कर लिया जायेगा।

3— उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2–4 के मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात वह दिनांक 01–04–2001 अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती/वेतन वृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। विकल्प को देने की अन्तिम तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक होगी। उक्त अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से विकल्प दिया गया है।

4— उक्त शासनादेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–463/XXVII(7)/2007, दिनांक 31.01.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव,

संख्या: 924/XXVIII/3/2006-104/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव,

शासनादेश संख्या: 924/XXVIII/3/2006-104/2006, दिनांक 13 जून, 2007 का संलग्नक

क0सं0/पदनाम	दिनांक 1-1-1986 से लागू वेतनमान (रू0)	दिनांक 1-1-1996 से सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (रू0)	दिनांक 1-4-2001 से सशोधित वेतनमान (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टैक्नीशियन)	1320-2040	4000-6000	4500-7000	
2-वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (सीनियर लैब टैक्नीशियन)	1400-2300	4500-7000	5000-8000	

(अतर सिंह)
उप सचिव.